

क्या होना चाहिये बैड लोन की समस्या का हल?

संदर्भ

वजिय माल्या और नीरव मोदी के मामलों के बीच एक नरिशानजनक समानता है। दोनों ने भारतीय बैंकों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया और देश छोड़कर भाग गए। यदि इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें, तो पाएंगे कि 22,000 करोड़ रुपए की यह परसिंपत्त बँकों की कुल गैर-नषिपादति संपत्ति (Non-Performing Assets (NPAs) का एक छोटा सा हिस्सा है, वास्तविक रूप में यह कई लाख करोड़ रुपए के आँकड़े में है।

- इन एनपीए का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट जगत की फर्मों को प्रदान किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि खुदरा उधारकर्ताओं द्वारा किये गए डफिल्ट की संख्या इन बड़ी शेरधारक कंपनियों और उद्योग जगत के बड़े-बड़े घरानों की तुलना में बहुत कम है।
- इससे यह स्पष्ट है कि बैंकिंग सिस्टम का डफिल्टर्स द्वारा शोषण किया जा रहा है। ये बेईमान उधारकर्ता या तो बैंकिंग प्रणाली में वदियमान अक्षमता का शोषण करते हैं या फरि व्यवस्था को धोखा देने के लिये बैंक अधिकारियों के साथ मलिकर इस काम को अंजाम देते हैं।
- पछिले कुछ समय से चर्चा का विषय बनी ये गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तियाँ अथवा एनपीए क्या है? इनके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? साथ ही इनसे संबद्ध अन्य पक्षों के विषय में इस लेख के अंतर्गत संक्षेप में चर्चा की गई है।

क्या है गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तियाँ?

- गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तियों से तात्पर्य ऐसे ऋण से है, जिसका लौटना संदिग्ध हो।
- बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण देता है वह उसे अपने खाते में संपत्तिके रूप में दर्ज़ करता है, परन्तु यदि किसी कारणवश बैंक को यह आशंका होती है कि ग्राहक यह ऋण नहीं लौटा पाएगा, तो ऐसी संपत्तिको ही गैर-नषिपादनकारी संपत्तियाँ कहा जाता है।
- यह किसी भी बैंक की वित्तीय अवस्था को मापने का पैमाना है। यदि इसमें वृद्धि होती है, तो यह बैंक के लिये चिंता का विषय बन जाता है।
- गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तियाँ (non-performing assets-NPA) किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये बोज़ होती हैं। ये देश की बैंकिंग व्यवस्था को रुग्ण बनाती हैं। गौरतलब है कि पछिले कुछ वर्षों से 'बैड लोन' और 'बैड एसेट' (ख़राब परसिंपत्तियाँ) में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वदिति हो कि गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तियाँ, बैड लोन और बैड एसेट से ही मलिकर बनती हैं।
- बैड लोन से बैंकों के लाभांश में कमी आती है, फलस्वरूप बैंक के लिये ऋण देना मुश्किल हो जाता है। जब बैंकों के लिये ऋण देना मुश्किल हो जाता है, तो फरि नविश में कमी आने लगती है और जब नविश में कमी आने लगे तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मलितता है।
- यदि किसी बैंक ने किसी संस्था को कुछ राशि ऋण के तौर पर दी, जब बैंक ने ऋण दिया था तब तो परसिंपत्तियाँ ऐसी थी कि संस्था द्वारा ऋण राशिको चुकाया जाना आसान लग रहा था। लेकिन बाद में प्रतिकूल हालातों में संस्था ऋण चुकाने में असमर्थ हो गई।
- यदि बैंक उसे वित्तीय संकटों से उबारने के उद्देश्य से और ऋण देता है, तो इस बात का डर लगातार बना रहता है कि कहीं बाद में दिया गया ऋण भी न डूब जाए। इस प्रकार से एनपीए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये बगिडेल बैल के जैसा होता है।
- स्पष्ट है कि एनपीए को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। लेकिन दो ऐसे कषेत्र हैं, जिनमें संरचनात्मक सुधार करके नश्चिंति रूप से इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है: पहला है पीएसबी का प्रबंधन करके और दूसरा जाँच एजेंसियों द्वारा बैंक धोखाधड़ी के मामलों को संभालने से संबंधित है।

एनपीए का प्रबंधन कैसे किया जाए?

- यदि लेनदारों द्वारा तय समय पर ऋण नहीं चुकाया जाता है, तो बैंक ऋण के बदले गरिबी रखी गई संपत्तिको ज़ब्त कर सकता है और फरि उस संपत्तिको बेच सकता है।
- एनपीए की गंभीर होती समस्या के समाधान के लिये भारतीय रज़िर्व बैंक ने सामरिक ऋण पुनर्गठन (Strategic Debt Restructuring-SDR) योजना शुरू की थी।
- एसडीआर के तहत, यदि कोई कंपनी या संस्था ऋण नहीं चुका पा रही है, तो उस डफिल्टर कंपनी के प्रबंधन में बैंक बड़ी भूमिका नभिा सकते हैं।
- यहाँ तक कि एसडीआर योजना के तहत बैंक, कंपनी के प्रमोटर्स को भी बदल सकते हैं। बैंक, बैड लोन का पुनर्गठन भी कर सकते हैं, जिससे कि लेनदारों को उधार चुकाना थोड़ा आसान हो जाए। बैंक, गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तियों को डसिकाउंट पर परसिंपत्त पुनर्गठन कंपनियों को बेचकर भी स्वयं का ऋण चुकता कर सकते हैं।

एनपीए के प्रबंधन में आने वाली दिक्रतें

- परसिंपत्तियों के ज़बती के माध्यम से स्वयं का ऋण चुकता करना बैंकों के लिये प्रायः फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ज़ब्त की गई परसिंपत्तियों को प्रायः कम दाम पर बेचना पड़ता है, जो कि दिये गए ऋण की तुलना में बहुत ही कम होती है।
- गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तियों के पुनर्गठन में दो समस्याएँ आती हैं। पहली, हो सकता है बैंक के प्रबंधक अवैध तरीके से कुछ कंपनियों की गैर-

नष्पिपादनकारी परसिंपत्तियों का मूल्य बहुत ही कम कर दें, ताकवि अवैध लाभ कमा सकें।

- दूसरी समस्या यह है कि यदि गैर-नष्पिपादनकारी परसिंपत्तियों को डिस्काउंट दर पर बेचा जाता है, तो सीधे इसका प्रतिकूल प्रभाव बैंकों के लाभांश पर देखने को मल्लिगा।

बासेल नयिम

- सवटिज़रलैंड में एक शहर है बासेल, जहाँ अंतरराष्ट्रीय नपिटान ब्यूरो (Bank for International Settlements-BIS) का मुख्यालय भी है।
- बीआईएस, केंद्रीय बैंकों के बीच वत्ततीय स्थरिता के समान लक्ष्य और बैंकगि नयिमों के आम मानकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है।
- बैंकगि पर्यवेक्षण पर बासेल समति द्वारा बैंकों और वत्ततीय प्रणाली के लयि जोखमि पर केंद्रति समझौतों के सेटों को बासेल नयिम (Basel Norms) कहा जाता है।

उद्देश्य

- यह सुनश्चिति करना है कि दायत्तियों को पूरा करने और अप्रत्याशति हानि को सहन करने के लयि वत्ततीय संस्थानों के पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहयि।
- भारत ने अपनी बैंकगि प्रणाली के लयि बासेल नयिमों को स्वीकार कयि है। अब तक तीन बासेल नयिम (1, 2, 3) जारी हो चुके हैं।

'बैड बैंक' क्या है?

- एनपीए के परबंधन हेतु, इस लेख में बैड बैंक की अवधारणा का जकिर कयि गया है। यहाँ इस अवधारणा का आधार जाने बना एनपीए के वषिय में बात करना मुद्दे से भटकने जैसा है। आइये पहले बैड बैंक को समझते हैं।
- यह एक आर्थकि अवधारणा है, जसिके अंतर्गत आर्थकि संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरति कर दयिा जाता है।
- ये बैड बैंक करज़ में फँसी बैंकों की राशिको खरीद लेगा और उससे नपिटने का काम भी इसी बैंक का होगा।
- जब कसिी बैंक की गैर-नष्पिपादनकारी परसिंपत्तियिँ सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का नरिमाण कयिा जाता है, जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक नश्चिति समय के लयि धारण कर लेता है।

बैड बैंक का सदिधांत

- बैड बैंक, एआरसी यानी परसिंपत्तपुनर्रगठन कंपनयिँ की तरह काम करेगा। बैड बैंक एक ऐसा बैंक होगा, जो दूसरे बैंकों के डूबते करज़ को खरीदेगा।
- ध्यातव्य है कि बैड बैंक का नाम 'पब्लकि सेक्टर एसेट रहिबलिटिशन एजेंसी' यानी पीएआरए होगा और यह प्रयोग जर्मनी, स्वीडन, फ्रॉन्स जैसे देशों में सफल रहा है। दरअसल, बैंकों (खासकर सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों की) की गैर-नष्पिपादनकारी परसिंपत्तियिँ तेज़ी से बढ़ी हैं।
- बैड बैंक के आने से दूसरे बैंकों से डूबते करज़ को वसूलने का दबाव हट जाएगा। दूसरे बैंक नए ऋण देने पर ध्यान केन्द्रति कर पाएंगे। बैंकों को अपने डूबते करज़ बैड बैंक को बेचने की सुवधिा मल्लिगी।
- डफिॉल्टर कंपनयिँ की संपत्तिा बेचने के काम में तेज़ी आएगी। बैंक अधिकारी परसिंपत्तियिँ की ज़बती की जगह बैंकगि गतविधियिँ को सुचारु ढंग से चला पाएंगे।

बासेल 3 की समय-सीमा में वृद्धि

- बैंकों की गैर-नष्पिपादति संपत्तियिँ (Non Performing Assets-NPA) के अस्वीकार्य स्तर (बहुत अधिक) पर पहुँचने की स्थतिको देखते हुए वत्तित मंत्रालय, बैंकों में बासेल-3 नयिमों को लागू करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाने के पक्ष में है।
- वत्तित मंत्रालय का कहना है कि बैंकों को इस समस्या से नपिटने के लयि काफी पूंजी की आवश्यकता होगी।
- वदिति हो करिज़िर्व बैंक बासेल-3 पूंजी नयिमनों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है तथा इन नयिमों को 31 मार्च, 2019 तक पूरगतः लागू कयिा जाना है।
- बासेल-3 नयिमों की समय-सीमा बढ़ा देने से बैंकों को अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मल्लिगी और उत्पादक क्षेत्रों को अधिक ऋण दयिा जा सकेगा।

बैड बैंक से संबंधति समस्याएँ

- बैड बैंक की स्थापना में सबसे बड़ी समस्या बैंक में हसिसेदारी को लेकर है। यह जानना दलिचस्प है कि समस्या नजिी और सार्वजनकि दोनों ही क्षेत्रों के अधिकितम भागीदारी से है।
- यदि बैड बैंक में सरकार की हसिसेदारी अधिक हो तो बैंकों की गैर-नष्पिपादनकारी परसिंपत्तियिँ इतनी अधिक हो गई हैं कि बैड बैंक के माध्यम से इनकी खरीद पर सरकार को उल्लेखनीय व्यय करना पड़ सकता है।

- साथ ही, एक सरकारी बैंड बैंक को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गैर-नष्पादनकारी परसिंपत्तियों के सन्दर्भ में कर रहे हैं।
- यदि बैंड बैंक को नज्जी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया, तो सबसे बड़ी समस्या गैर-नष्पादनकारी परसिंपत्तियों के मूल्य को लेकर हो सकती है। नज्जी क्षेत्र का बैंड बैंक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए गैर-नष्पादनकारी परसिंपत्तियों का मूल्य तय करेगा।
- यदि यह मूल्य बहुत अधिक हुआ, तो बैंड बैंक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और यदि यह मूल्य बहुत ही कम हो गया, तो बैंकों को उनकी ऋण देयता के अनुपात में राशानिही मलि पाएगी।

इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है?

आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु नमिनलखिति पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है-

- सर्वप्रथम, शीर्ष अधिकारियों की नयिकृता और चयन व्यवस्था में बदलाव कयि जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत कार्यकारी नदिशकों, बोर्ड के सदस्यों से लेकर अध्यक्ष तक सबके संदर्भ में बदलाव कयि जाने की आवश्यकता है।
- इस परिवर्तन का आधार यह है कि शीर्ष स्तर पर मौजूद कोई भी व्यक्ति एक संगठन को बना भी सकता है और उसे तोड़ भी सकता है। शीर्ष प्रबंधन की गुणवत्ता पीएसबी की मुख्य समस्याओं में से एक है। इसका सबसे अहम कारण यह है कि चयन प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है, जिसके चलते एक नष्पक्ष चुनाव का विकल्प नहीं रह जाता है।
- ऐसे में होता यह है कि राजनीतिक दबाव की स्थिति में ऐसे अधिकारी बना कसिी उचित क्रेडिट मूल्यांकन के ही अग्रिम ऋण को मंजूरी दे देते हैं। ज़ाहिर सी बात है ऐसे बहुत से ऋण आगे चलकर एनपीए बन जाते हैं। हाल की बहुत सी घटनाओं में यह बात सामने आई है। स्पष्ट रूप से व्यावहारिक रूप से बैंकों में कोई जवाबदेही प्रणाली मौजूद नहीं है, जो एनपीए की समस्या को बढ़ावा देने में एक भूमिका निभाती है।

इंद्रधनुष योजना

- देश के सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लयि सरकार ने वर्ष 2015 में एक सात सूत्रीय इंद्रधनुष योजना बनाई थी।
- 'इंद्रधनुष' योजना का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, एनपीए में कमी करना और बैंकों का प्रदर्शन सुधारना है।
- 'इंद्रधनुष' के अंतर्गत, पुनर्पूजीकरण के उपाय कयि जा रहे हैं और गैर-नष्पादति परसिंपत्तियों (एनपीए) को कम करने में मदद की जा रही है।
- 'इंद्रधनुष' के 7 सूत्र इस प्रकार हैं:
 - ◆ नयिकृतायि।
 - ◆ बैंक बोर्ड ब्यूरो।
 - ◆ पूंजीकरण।
 - ◆ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव हटाना।
 - ◆ सशक्तीकरण।
 - ◆ जवाबदेही की योजना बनाना।
 - ◆ प्रशासनिक सुधार।

वरषिठ कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग उपलब्ध कराना

- दूसरे कदम के तौर पर वरषिठ बैंक कर्मचारियों के लयि मूल्यांकन परयोजना के तहत, आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित कयि जाना चाहयि। नयिमति बैंकिंग परिचालन की अपेक्षा वत्तितीय परयोजनाओं में वभिन्न तरह के कौशल की आवश्यकता होती है। वदिति हो कि आईसीआईसीआई और आईडीबीआई जैसे विकास वत्तितीय संस्थानों (development financial institutions) में दृढ़ परयोजना मूल्यांकन वभिग होते थे। बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों में प्रत्येक उद्योग के लयि एक विशेष सेटअप होता है, जहाँ कर्मचारियों को लंबी अवधि के रुझानों और परयोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लयि प्रशिक्षित कयि जाता है।
- इसकी तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कौशल वकिसति करने हेतु ऐसा कोई संस्थागत तंत्र होता ही नहीं है, स्पष्ट रूप से इससे दोनों प्रकार के वत्तितीय संस्थानों की कार्यप्रणाली और प्रबंधन में अंतर स्पष्ट होता है। यही अंतर एनपीए जैसी बड़ी समस्याओं को आधार भी प्रदान करता है।
- यहाँ पर अधिकांश वत्ति पोषण बैलेंस शीट के माध्यम से होता है जिसकी अपनी समस्याएँ होती हैं। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि ऐसी शाखा प्रबंधक या अधिकारी, जिनका कॅरियर ज्यादातर शाखा स्तर पर ही आधारित या नरिभर होता है, वे बगैर कसिी वशिषिट जाँच-पड़ताल के बड़े ऋण को पास कर देते हैं। भले ही कतिनी ही ईमानदारी और नेक नयिता से काम का प्रबंधन कयि जाए लेकिन आवश्यक कौशल के अभाव में ऋण को एनपीए में परिवर्तित से नहीं रोका जा सकता है। इसके लयि ज़रूरी है कि बैंकिंग व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर नयिमति प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहयि।

सतर्कता को सुदृढ़ बनाना

- तीसरा कदम सतर्कता वभिगों को सुदृढ़ करने का होना चाहयि। वर्तमान समय में पीएसबी में कोई प्रभावी सतर्कता तंत्र मौजूद नहीं है।
- सतर्कता वभिग द्वारा केवल छोटे-छोटे मामलों के संदर्भ में कार्यवाही की जाती है, जहाँ कई मध्य-स्तर या जूनियर अधिकारियों को छोटी प्रकरयात्मक चूक के लयि दंडित कयि जाता है।
- लेकिन, इसके इतर भले ही शीर्ष अधिकारियों के स्तर पर कतिनी बड़ी चूक क्यों न हुई हो, सतर्कता वभिग उनके संबंध में शायद ही कभी कोई रिपोर्ट दर्ज़ की जाती है।
- स्पष्ट रूप से सतर्कता वभिग को सुदृढ़ कयि जाने की दशा में कार्य कयि जाना चाहयि, ताकि प्रबंधन के स्तर पर होने वाली चूक को समय रहते

सुधारा जा सके और कसिी बडी परेशानी से बचा जा सके ।

समयबद्ध जाँच की व्यवस्था की जानी चाहिये

- इस संबंध में चौथा कदम समयबद्ध जाँच की व्यवस्था का होना चाहिये । बड़े स्तर पर एनपीए के कुछ मामले ऐसे भी जो सार्वजनिक डोमेन में हैं या जहाँ जान-बुझकर चूक कथि जाने के परमाण मौजूद हैं, ऐसे मामलों को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation - CBI) को सौंप देना चाहिये, ताकानिषिपकष एवं समयबद्ध जाँच की जा सके ।
- कई मामलों में ऐसा भी होता है, जहाँ बैंकों द्वारा कार्यवाही कथि जाने में इतना अधिक समय लग जाता है कथि तो तब तक कई गवाह सेवानवृत्त हो चुके होते हैं या फरि उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा उस पूरे मामले को ही भुला दया जाता है ।
- यहाँ सबसे अधिक जरूरी है कथिह अनविरय कर देना चाहिये कथिकोई भी मामला दो साल के भीतर समाप्त हो जाना चाहिये । असाधारण (अधिक जटलि मामलों) स्थतियों में, इस समय-सीमा को तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है ।

जवाबदेही को बढ़ाना

- पाँचवां, कसिी भी पीएसबी का मालकाना हक सरकार के पास होता है और इसके प्रबंधन में भी सरकार की भूमिका बहुत अहम् होती है । आम तौर पर, बैंक बोर्ड की मीटिंग्स में सरकार का प्रतिनिधित्व वतित मंत्रालय के नौकरशाहों द्वारा कथिा जाता है ।
- यह कोई अनविरय घटक नहीं है कथि इन अधिकारियों के पास बैंकगि व्यवस्था से संबंधति अनुभव या ज्ञान होना आवश्यक हो । ऐसे में इनके द्वारा लथि जाने वाले नरिणय और की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदेहति का प्रश्न बहुत अहम् हो जाता है ।
- इसमें कोई दो राय नहीं है कथि अधिकारी अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हों अथवा दूसरे क्षेत्रों में अनुभव असाधारण रहा हो लेकनि, जब तक ये बैंकगि और वतिततीय सेवाओं के वषिय में प्राथमक सबक सीखते हैं, तब तक या तो इनकी सेवा समाप्तिका समय हो जाता है या फरि इनका स्थानान्तरण हो जाता है ।

प्रतभूतहिति प्रवर्तन एवं ऋणों की वसूली के कानून एवं वविधि प्रावधान (संशोधन) कानून, 2016

- इस कानून के तहत, बैंकों को ऋण अदायगी नहीं कथि जाने पर गरिवी रखी गई संपत्तिका को कब्जे में लेने का अधिकार दया गया है ।
- खेती की जमीन को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है । शकिषा ऋण की अदायगी में हुई चूक को बट्टे खाते में नहीं डाला जाएगा तथा इसकी वसूली में 'सहानुभूतिका दृष्टिकोण' अपनाया जाएगा ।
- उपरोक्त कानून के ज़रथि चार मौजूदा कानूनों--प्रतभूतकिरण एवं वतिततीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतभूतहिति प्रवर्तन अधनियम 2002 (सरफेसी कानून), ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधनियम 1993, भारतीय स्टॉप शुल्क अधनियम, 1899 और डिपॉजिटरी अधनियम 1996 के कुछ प्रावधानों में संशोधन कथि गए हैं, ताकानि ऋण वसूली की व्यवस्था को और कारगर बनाया जा सके ।

अन्य महत्त्वपूर्ण उपाय क्या हो सकते हैं?

- स्पष्ट रूप से ससिटम को बदलने की जरूरत है । इसका एक तरीका यह हो सकता है कथि मंत्रालय के अंतर्गत अधिकारियों को नथिक्त करने और उन्हें बैंकगि एवं वतिततीय सेवाओं में प्रशकिषण प्रदान करने का एक व्यवस्थति तरीका होना चाहिये ।
- इसके अतरिकत बैंकगि व्यवस्था के तहत, पेशेवरों को शामिल कथि जाने पर बल दया जाना चाहिये, ताकानि बैंकगि कार्यप्रणाली में आवश्यक वशिषजज्ञता को नहिति कथिा जा सके ।
- अंत में नथिामक के रूप में भारतीय रज़िर्व बैंक को प्रमुख भूमिका नथिानी होगी । स्पष्ट रूप से यह कसिी भी धोखाधडी की घटना के तुरंत बाद कुछ नश्चति उपायों की घोषणा करके अपनी नथिामकीय जमिमेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है ।
- जब कभी जमाकर्त्ताओं के पैसे की सुरक्षा की बात आती है, तो आरबीआई के पास बैंक बोर्ड को बदलने संबंधी पर्याप्त शक्तियाँ मौजूद हैं । अतः इस समस्या के संदर्भ में आरबीआई की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लथि आगे की राह

- भारत को दीर्घावधि में सार्वजनिक बैंकों का नजिकरण कर देना चाहिये । हालाँकि, यह कदम आसान नहीं होगा । जैसा कथि हम सभी जानते हैं कथि एक वशाल नजि बैंकगि प्रणाली होने की पूर्व शर्त यह है कथि बैंकगि नथिमन में राज्य की सकषमता है ।
- इस संदर्भ में देश की वर्तमान स्थतिति और आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए तीन बडुियों पर वशिष रूप से ध्यान देने की जरूरत है ।
- सर्वप्रथम, जहाँ सार्वजनिक बैंकों के पास इक्वटी पूंजी की कलिलत है वही उन्हें सरकार का समर्थन भी हासलि है । जसिके परिणामस्वरुप उनके पास कारोबार की कमी नहीं है ।
- ग्राहक सार्वजनिक बैंकों पर सरकार पर उनके वशिवास की मन माकफि भरोसा करते हैं । इन भरोसे के दम पर ही ग्राहकों से मलने वाले सस्ते जमा के तौर पर बैंकों को भारी मात्रा में सब्सडि प्राप्त होती है ।
- दूसरा, नजि बैंकों की अपेक्षा सार्वजनिक बैंकों की संगठनात्मक क्षमताएँ काफी भन्नि होती हैं । उदाहरण के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक का संचालन काफी बेहतर तरीके से होता है, यही कारण है कथिह नजि क्षेत्र के बैंकों से भी बेहतर कार्य करता है । वही दूसरी ओर बहुत से ऐसे भी बैंक हैं, जनिकी प्रबंधन प्रणाली बेहद जीर्ण है ।
- तीसरा, सार्वजनिक बैंकों की तरफ से कंपनियों को दथि गए ऋण के बकाया पर काफी ध्यान दया जा रहा है, लेकनि ये आँकड़े पुराने करज़ के भुगतान और नए करज़ के आवंटन के चकर से नरिधारति कथि जा रहे हैं । स्पष्ट रूप से इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही कथि जाने की आवश्यकता है ।
- सरकारी एजेंसियों सीबीआई, सीवीसी और सीएजी की कार्य प्रक्रथियाओं में भी महत्त्वपूर्ण बदलाव कथि जाने चाहिये ताकानि वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में सार्वजनिक बैंक की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाया जा सके ।
- नथिमन क्षमता वाले सार्वजनिक बैंक के संदर्भ में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कथिह अपने बकाया करज़ को खुली नीलामी के ज़रथि बेच सके ।

- इसके लिये परसिंपत्त पुनरगठन कंपनयिों (एआरसी) के वशिष दरजे को खत्म करना बेहद जरूरी है, ऐसा इसलिये ताकि कोई भी वत्तीय नविशक इन परसिंपत्तयिों की खरीद के लिये समान स्तर पर बोली लगा सके ।
- इसके अतरिकित, नजि इक्वटी फंड और ऋणग्रस्त परसिंपत्त फंडों का एक बड़ा पूल तैयार कयिा जाना चाहयिे, ताकि इन बॉन्ड या बकाया करजों की खरीद में परतसिंपर्द्धा का माहौल तैयार कयिा जा सके । इससे सार्वजनकि बैंकों की मूल्य वसूली और अधकि बेहतर हो सकेगी ।
- अब सवाल यह उठता है कि उन कंपनयिों के संदर्भ में बैंकों की कयिा नीता होनी चाहयिे जनिके द्वारा करज भुगतान में कसिी परकार की कोई चूक नहीं की गई है? इसके काम के लिये बैंकों द्वारा कंपनयिों के खाते संबंधी ऑकड़ों के आधार पर नयिम बनाते हुए उन्हें करजदारों की सशक्त एवं अशक्त श्रेणी में बाँटा जाना चाहयिे ।

नषिकरष

भारत की बैंकिंग प्रणाली ऐसी चुनौती भरी पृष्ठभूमि में अपेक्षाकृत लंबे समय से कार्य कर रही है, जिसके कारण सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी परयाप्तता तथा लाभ परतकिल परभाव पड़ा है । इनके मद्देनजर सरकार सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों में वैश्वकि जोखमि मानदंडों के अनुरूप उनकी पूंजी जरूरतों को पूरा करने और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिये पूंजी लगा रही है । लेकिन एनपीए का स्तर 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाने के कारण चिंता होना स्वाभावकि है, क्योंकि इतनी बड़ी राशा कसिी काम की नहीं है । यह भी स्पष्ट है कि एनपीए को कम करने का उपाय उसके मरज में छपिा है । बैंक में व्याप्त अंदरूनी तथा अन्य खामयिों का इलाज, बैंक के कार्यकलापों में बेवजह दखलंदाजी पर रोक, मानव संसाधन में बढ़ोतरी आदिकी मदद से बढ़ते एनपीए पर नश्चिंति रूप से काबू पाया जा सकता है ।

प्रश्न: दनिोंदनि बढ़ती एनपीए की समस्या के संदर्भ में वचिार करते हुए इसके अर्थ, नविारण तथा सरकारी परयासों की चर्चा कीजयिे । साथ ही, इस समस्या के संदर्भ में बैंड बैंक की परकिलपना पर भी प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कीजयिे कि यह कसि प्रकार प्रभावी कार्यवाही कर सकती है?

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/a-treatment-for-the-bad-loan-disease>

